न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 108/2019 (1043/2017)
GCMS NO. : **2017/00074**

–:: प्रार्थीगण ::–
1. जसवन्तसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति– राजपूत, निवासी– आकोदिया, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–
1. भंवरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
2. लक्षमणसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
3. गंगासिंह पुत्र गोविन्दसिंह जातियान– राजपूत निवासीगण–लाम्बिया, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजियन अधिकारी एवं तहसीलदार जैतारण जिला–पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 24/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री रूस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री हरीओम पारिक, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 31/08/2021

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा नम्बर 64 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 65 रकबा 3 बीस्वा गै0 मु0 बेरा, खसरा नम्बर 66 रकबा 4 बिस्वा चाही सोयम, खसरा नम्बर 64/1 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 67 रकबा 2 बीघा की कृषि भूमि आयी हुई है। जिसकी जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है जिसे प्रार्थना–पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त कृषि भूमि मे सायल का 1/4 हिस्सा है तथा राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज है लेकिन उपरोक्त कृषि भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नही हो रखा है गैरसायलान् जो कि संख्या मे ज्यादा है खसरा संख्या 64 जो कि रोड पर स्थित है बगैर बंटवाडा करवाये ही जमीन का बेचान करना चाहते है तथा माफिक हिस्सेनुसार बगैर कोई बंटवाडा किये [illegible]न् कानून के विपरीत जाकर जमीन का बेचान हस्तान्तरण [illegible] नम्बर 64 में सभी खातेदारो का हिस्सा होते हुए भी गैरसायलान अकेले बेचान करने पर आमादा है। सायल ने गैरसायलान् को उपरोक्त [illegible] करने का दिनांक 3[illegible] 05.2017 को कहा तो गैरसायलान् ने बंटवाडा करने से स्पष्ट मना कर दिया और बिना बंटवाडे के ही किसी अन्य व्यक्ति को बेचान हस्तान्तरण करने की धमकी दी है सायलगण अपने हिस्से की कृषि भूमि के बगैर बंटवाडा उसको उन्नत नही कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सकते है ना ही अधिक उपजाउ बना सकते है सायल 1/4 हिस्से की कृषि भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा कराना चाहते है यदि गैरसायलान् बिना बंटवाडा कराये रोड पर स्थित जमीन का बेचान हस्तान्तरण कर दते है तो सायल अने हक अधिकारो से वंचित हो जायेगा, सायल को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप मे संभव नही हो सकेगी। सायल बतौर खातेदार काश्तकार होने से गैरसायलान् द्वारा किये जाने वाले बेचान हस्तान्तरण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रूकवाने का अधिकारी है यदि दौराने प्रार्थना-पत्र गैरसायलान् बेचान हस्तान्तरण कर गैरसायलान् संख्या चार के समक्ष बेचान दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करते है तो जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोके जाने का आदेश फरमावें। सायल अपने 1/4 हिस्से की कृषि भूमि पर बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा कराने व अपने हिस्से की कृषि भूमि का खाता अलग कराने व राजस्व रेकर्ड मे अपने 1/4 हिस्से की कृषि भूमि को तरमीम कराने का अधिकारी है गैरसायलान् द्वारा बंटवाडा करने से इंकार करने से तथा बिना बंटवाडा के जमीन को बेचान करने की धमकी देने पर सायल के पास उपरोक्त जमीन का बंटवाडा कराने तथा बेचान हस्तान्तरण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रूकवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से ये प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा के श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है व अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र दस्तावेजात प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायलान् को प्रार्थना-पत्र के पद संख्या एक मे वर्णित कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत इत्यादि करने से वादपत्र के निर्णय तक रोका जावे तथा सायल को उसके हिस्से की कृषि भूम पर की जाने वाली काश्त से सम्बन्धित कार्य मे गैरसायलान् उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट आदि को दखलन्दाजी करने से वादपत्र के निर्णय तक रोका जाने का आदेश फरमावे गैरसायलान द्वारा उपरोक्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण का दस्तावेज पंजीयन हेतु गैरसायल संख्या चार के समक्ष प्रस्तुत होने पर बेचान हस्तान्तरण का दस्तावेज पंजीयन नही करे एवं बेचान हस्तान्तरण करने हेतु रोक लगायी जवे तथा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के बेचान हस्तान्तरण के रोके जाने की इस्तदुआ की है।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 1,3,4 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना तामिल के अनु0 रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 2 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सामिल मिसल है। गैरसायल की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि पैरा संख्या 01 का जबाब है कि सरहद मौजा राबड़ियावास पटवार हल्का राबड़ियावास तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 64 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 65 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 66 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 64/1 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 67 रकबा 02 बीघा की कृषि भुमि आई हुई है। जो सही व सत्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 का जबाब है कि जमाबन्दी रेकर्ड के अनुसार सायल का हक व हिस्सा राजस्व रेकर्ड में वर्णित है। अन्य फिकरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 03 का जबाब है कि राजस्व रेकर्ड में वर्णित सायल की जमीन है व अन्य फिकरा जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 04 का जबाब है कि गैरसायल संख्या 02 राजस्व रेकर्ड में वर्णित अपने हक व हिस्से के अनुसार मौके पर काबिज है। जबाब प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा बनाकर पेश किया है, जो जबाब प्रार्थना-पत्र का एक भाग माना जावें। नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शित गैरसायल संख्या 02 की मौके की कब्जे काश्त की जमीन है। जिस पर वह खेती कर रहा है अन्य फिकर जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम राबडियावास तहसील जैतारण खसरा नम्बर 64 रकबा 10-01 बीघा, खसरा नम्बर 65 रकबा 00-03 बीघा, खसरा नम्बर 66 रकबा 00-04 बिस्वा, खसरा नम्बर 64/1 रकबा 10-01 बीघा कुल 5 खसरा के सम्बन्ध में एक वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश कर दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। सायल ने हस्तगत प्रार्थना-पत्र में यह कथन किया है कि "सायल वादग्रस्त आराजी (कुल 5 खसरे) में बतौर खातेदार दर्ज है एवं गैरसायलान खसरा नम्बर 64 में सभी खातेदारों का हिस्सा होते हुए भी गैरसायलान अकेले बेचान करने पर आमादा है"। जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 588 ग्राम राबडियावास के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त खाते के खसरा नम्बर 64,65 व 66 में केवल गैरसायल संख्या 2 ही बतौर खातेदार दर्ज है एवं सायल केवल खाता संख्या 422 के खसरा नम्बर 64/1 एवं 67 में बतौर सहखातेदार दर्ज है। अतः वादी/प्रार्थी वाद-पत्र में अंकित सभी खसरों में खातेदार दर्ज नहीं है जबकि सिर्फ खातेदार ही अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध विभाजन का दावा पेश कर सकता है। साथ ही यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि अविभाजित सामलाती खातेदारी अराजी में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक हिस्से पर समान हक-अधिकार निहित होता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि केवल वादी के पक्ष में ही प्रथम दृष्टया मामला है। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बनता नहीं होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः-** वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 64,65 व 66 में प्रार्थी बतौर खातोदार दर्ज नहीं है। अतः उक्त खसरों में के पक्ष में सुविधा का संतुलन निहित नहीं है। साथ ही सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 422 ग्राम राबडियावास के खसरा नम्बर 64/1 एवं 67 में प्रार्थी सहखातेदार दर्ज है। परन्तु अविभाजित सामलाती आराजी में प्रत्येक सहखातेदार का अपने हक-हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः यह नहीं माना जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सकता कि केवल प्रार्थी के पक्ष में ही सुविधा का संतुलन निहित है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** प्रथम दोनों बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुए है। साथ ही वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 64,65 व 66 (सम्पूर्ण खाता संख्या 588) में अप्रार्थी संख्या 2 बतौर खातेदार एवं शेष खसरे 64/1 एवं 67 (सम्पूर्ण खाता संख्या 422) में सायल एवं गैर–सायलान बतौर सह–खातेदार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि यह साबित होता हो कि यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे किस प्रकार अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विव्रम अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भली भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना विधि–संगत एवं उचित रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में भली–भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फारेस्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फारेस्ट ट्रेक, (पाली)
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 31/08/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फारेस्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:42 IST
Reason: SelfAttested